न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 71/2024

श्री शिवराज मीना (पत्रकार टोक राज.) ग्राम सहादतनगर थाना अलीगढ जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य कलेक्ट्रेट, टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 09.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 784 दिनाक 18.10.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य कलेक्ट्रेट, टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

प्रार्थी पत्रकार शिवराज मीना निवासी सहादतनगर, थाना अलीगढ तहसील अलीगढ, जिला टोंक के विरूद्ध 10 जूलाई 2023 को पंचायत समिति उनियारा मु0 अलीगढ के तत्कालीन विकास अधिकारी (BDO) श्री नरेन्द्र कुमार मीना द्वारा दर्ज करवाए गये झूठे व फर्जी केस में टोंक जिले के समस्त विकास अधिकारीयों संध (BDO) समस्त तहसीलदार संध जिला टोंक, नायब तहसीलदार जिला टोंक, पटवारी/गिरदावर संध, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) संध जिला टोंक मंत्रालयिक कर्मचारी संध जिला टोंक, सरपंच संघ जिला टोंक सहित उपखण्ड के प्रशासनिक अधिकारियों/कार्मिको द्वारा प्रार्थी शिवराज मीना (पत्रकार) को कथित पत्रकार व असमाजिक तत्व बताकर श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक सहित उपखण्ड मुख्यालयों पर दिये गये ज्ञापन/शिकायतों की प्रमाणित प्रतियॉ/रिकार्ड मय प्रमाणित सबूत उपलब्ध करवाने बाबत्।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य कलेक्ट्रेट, टोंक को पत्र कमांक 1848 दिनांक 13.12.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य कलेक्ट्रेट, टोंक ने पत्र कमांक 8849 दिनांक 18.12.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 8348 दिनांक 13.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य कलेक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)